सत्र समापन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय का उद्‌बोधन

(दिनांक 25 फरवरी, 2014)

छत्तीसगढ़ राज्य की चतुर्थ विधानसभा के प्रथम सत्र का आज अंतिम दिवस है। विधान सभा का वर्तमान सत्र दिनांक 6 जनवरी, 2014 से माननीय सदस्यों को संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत शपथ दिलाने एवं माननीय राज्यपाल महोदय के सम्बोधन हेतु आरंभ हुआ और पश्चात् सभा के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप दिनांक 3 फरवरी से सत्र की बैठकें हुईं, जिसमें शासन ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये आय–व्ययक अनुमान प्रस्तुत किया और माननीय सदस्यों ने छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के अंतर्गत प्रश्न, ध्यानाकर्षण और अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से सभा में चर्चा हेतु लोक–हित के विषयों को रखा ।

छत्तीसगढ़ की इस चतुर्थ विधान सभा में प्रथम बार निर्वाचित होकर आने वाले सदस्यों की संख्या 52 हैं, लेकिन मैं यहॉ उल्लेख करना चाहता हूॅ कि इन नव–निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने संसदीय परम्पराओं, प्रक्रियाओं एवं संसदीय व्यवस्था के प्रति अपने विश्वास को आधार बनाकर जिस प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका का निर्वाह किया, वह प्रशंसनीय है और मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूॅ और उनके उज्जवल संसदीय जीवन की कामना करता हूॅ ।

इस चतुर्थ विधान सभा में निर्वाचित होकर आने वाली महिला सदस्यों की संख्या 10 है । मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूॅ तथा सत्र की बैठकों में उनकी सक्रिय भागीदारी से प्रत्येक महिला सदस्य अपनी पहचान स्थापित करने में सफल हुई है ।

इस चतुर्थ विधान सभा का स्वरूप तृतीय विधान सभा से एकदम भिन्न है। यही कारण है कि एक अवसर पर इस सभा के वरिष्ठतम सदस्य ने अपने भाषण के दौरान यह कथन किया कि सभा में प्रथम बार निर्वाचित होकर आने वाले विधायकों की संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें बहुत अजीब महसूस होता है। इसके पीछे उनकी भावना वरिष्ठ पूर्व सदस्यों की अनुपस्थिति को प्रगट करना था, जो इस सभा में विगत अनेक वर्षों से निरंतर प्रतिनिधित्व कर रहे थे । किन्तु संसदीय प्रणाली में जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिये, लिया जाने वाला फैसला ही विगत 65 वर्षों से संसदीय प्रणाली को मजबूती प्रदान कर रहा है।

इस सभा में जहॉ नव–निर्वाचित सदस्य बड़ी संख्या में हैं, वहीं ऐसे सदस्य भी हैं जो राज्य गठन के पूर्व से मध्य प्रदेश में प्रतिनिधित्व करते थे और आज भी इस सभा के सदस्य हैं, मुझे विश्वास है कि उनके सुदीर्घ संसदीय ज्ञान से नव–निर्वाचित माननीय सदस्य संसदीय प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं से परिचित होंगे । मैं वरिष्ठ सदस्यों से भी यह अनुरोध करता हूॅ कि वे नव–निर्वाचित सदस्यों को संसदीय प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं से अवगत कराने में अपना योगदान दें ।

इस सत्र के दौरान दिनांक 1 एवं 2 फरवरी को संसदीय प्रक्रियाओं से भिज्ञ कराने के उद्देश्य से दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा की अध्यक्ष माननीया श्रीमती मीरा कुमार, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री अरूण जेटली, राज्यसभा में उप नेता प्रतिपक्ष श्री रवि शंकर प्रसाद, मध्य प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष माननीय डॉ. सीताशरण शर्मा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं पूर्व सांसद माननीय श्री विक्रम वर्मा सहित इस छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान मंत्री माननीय श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, छः बार निर्वाचित पूर्व मंत्री एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री रविन्द्र चौबे, छः बार निर्वाचित छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री देवेन्द्र वर्मा ने माननीय सदस्यों को संसदीय प्रजातंत्र, सभा में सदस्यों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों एवं विभिन्न संसदीय विषयों सहित अत्यंत लाभकारी विषयों पर सम्बोधित किया ।

मुझे विश्वास है कि इस प्रबोधन कार्यक्रम से माननीय सदस्यों को सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने में निश्चित तौर पर लाभ हुआ होगा।

जनप्रतिनिधि संसदीय प्रणाली में प्रदेश की यह सर्वोच्च पंचायत विचार–विमर्श का एकमात्र सशक्त स्थान है और सत्र की कुल 23 बैठकों में माननीय सदस्यों ने वाद–विवाद का जो उत्कृष्ट परिचय दिया है और संसदीय संस्कारों की जो अभिव्यक्ति अपने आचरण एवं व्यवहार के माध्यम से सभा में प्रस्तुत की है, मैं विश्वासपूर्वक यह कह सकता हूँ कि यह सभा उच्च संसदीय मापदण्डों के प्रति निष्ठा एवं विश्वास के लिये अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगी ।

सभा की कार्यवाही के संचालन के दौरान एक–दो अवसरों पर इस सदन के नियम, प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं को सुदृढ़ बनाने एवं स्थापित करने के उद्देश्य से मुझे माननीय सदस्यों को निर्देशित भी करना पड़ा और माननीय सदस्यों ने मेरे निर्देशों का पालन कर मेरे प्रति जो विश्वास एवं संसदीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिये मैं सभी सदस्यों का आभारी हूँ, साथ ही किसी भी सदस्य को ऐसे अवसरों पर यदि तनिक भी क्षोभ हुआ हो तो मैं दुःख व्यक्त करता हूँ ।

इस प्रथम सत्र के दौरान प्रत्येक सदस्य को संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति से अवगत कराने के उद्देश्य से लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित ''संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति'' एवं भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ''भारत का संविधान'' के साथ छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली भी वितरित की गई हैं ताकि माननीय सदस्य यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता रखते हैं, संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में भी गहराई से परिचित हो सकें ।

वर्तमान सत्र के दौरान इस सभा ने राज्यसभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में माननीय श्री मोतीलाल वोरा एवं माननीय श्री रणविजय प्रताप सिंह जूदेव को भी निर्वाचित किया । मैं सदन की ओर से दोनों माननीय सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ । मुझे विश्वास है कि नव–निर्वाचित राज्यसभा सदस्य राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे ।

अब मैं आपको इस बजट सत्र में सम्पादित हुये संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूँगा । इस सत्र में कुल 23 बैठकों में माननीय राज्यपाल के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर 14 घंटे 10 मिनट चर्चा सहित कुल लगभग 134 घण्टे 30 मिनट चर्चा हुई । 23 बैठकों में 183 प्रश्न सभा में पूछे गये, जिनके उत्तर शासन द्वारा दिये गये । इस प्रकार प्रति दिन प्रश्नों का औसत लगभग 11 प्रश्नों का रहा । इस सत्र में 1004 तारांकित प्रश्न एवं 625 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस प्रकार कुल 1629 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं । इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 595 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिसमें 122 सूचनाएं ग्राह्य हुईं । इस सत्र में स्थगन प्रस्ताव की कुल 160 सूचनाएं प्राप्त हुई। शून्यकाल की 138 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिसमें 87 सूचनाएं ग्राह्य और 51 सूचनाएं अग्राह्य रहीं। वर्तमान सत्र में 296 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें 120 ग्राह्य, 77 अग्राह्य एवं 99 विचाराधीन है । माननीय सदस्यों द्वारा अशासकीय संकल्प की 13 सूचनाएं दी गईं, जिनमें 6 संकल्प ग्राह्य हुये तथा 2 संकल्प सदन में चर्चा उपरांत स्वीकृत हुये । इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 8 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं तथा सभी विधेयक चर्चा उपरांत पारित हुये ।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर 4 घण्टे 7 मिनट, वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा में 8 घण्टे 7 मिनट का समय लगा जबकि अनुदान की मॉगों पर 54 घण्टे 30 मिनट चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 5 घण्टे 28 मिनट चर्चा हुई ।

प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु दूरदर्शन से प्रश्नकाल का प्रसारण सायं 5.30 से 6.30 बजे तक करने के साथ, विद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं के साथ–साथ माननीय सदस्यों के माध्यम से आम नागरिकों को कार्यवाही देखने का अवसर दिया जाता है । इस तारतम्य में विभिन्न जनप्रतिनिधि संस्थाओं के लगभग 132 पत्रकारगण एवं प्रतिनिधियों ने तथा 1188 छात्र–छात्राओं ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया, साथ ही सदस्यों के माध्यम से भी लगभग 11300 नागरिकों ने भी कार्यवाही देखी।

अन्त में बजट सत्र के समापन अवसर पर इस सत्र के संचालन में मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष तथा समस्त माननीय सदस्यों के प्रति पुनश्च हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । आप सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हो पाया ।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया ।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया । दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का सीधा प्रसारण किया ।

सत्र की पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ तथा सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी ।

मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया ।

मैं इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव श्री सुनिल कुमार जी की इस प्रदेश को दी गई उत्कृष्ट सेवाओं का उल्लेख करना भी समीचीन समझता हूँ।

विगत लगभग 2 वर्षों में राज्य की विभिन्न योजनाओं एवं विधि के निर्माण तथा राज्य के विकास में उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही है और समय–समय पर राज्य प्रशासन को उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है । मैं इस अवसर पर उनकी प्रशंसा करता हूँ और उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व मेरी ओर से तथा सभा की ओर से उनके स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिये शुभकामनायें देता हूँ ।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित करने की परिपाटी है । आगामी सत्र जुलाई माह के अंतिम सप्ताह से संभावित है।

हम सब छत्तीसगढ़ के विकास के लिये कृत्य संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ ।

धन्यवाद ! जय हिन्द ! जय छत्तीसगढ ।

– – –